

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत SDO मुकाम कडीसादडी

वनाम श्री मधुरालाल

किस्म मुकद्दमा 53 R.A. 4 नं. 32/18 सन 2018

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
3/5/18	<p>राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2018 के तहत कैम्प कोर्ट <u>मंडूडा</u> पर प्रार्थी द्वारा इस आशय का वाद पत्र अन्तर्गत धारा <u>53</u> आर. टी. एक्ट के तहत पेश किया कि</p> <p><u>मधुरालाल / गौरीशंकर, केशवलाल / मन्मथ</u> <u>श्याम / मन्मथ / केशवलाल के द्वारा 3/1/18</u> <u>संपत्ति का अग्रहण किया गया प्रमाण पत्र</u> <u>का पेश किया गया</u></p> <p>पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर वादी एवं प्रतिवादी को सुना गया। प्रतिवादी द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई गई।</p> <p>अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि</p> <p>सौजा <u>उत्तरवादी</u></p> <p>① <u>मधुरालाल / गौरीशंकर का</u> <u>968/1 0.13 2.47</u></p> <p>② <u>केशवलाल / मन्मथ / श्याम का</u> <u>968/2 0.0650 1.23</u></p> <p>③ <u>केशवलाल / मन्मथ</u> <u>968/2 0.0650 1.24</u></p> <p>इसी अनुसार डिक्री जारी की जाकर पालना हेतु तहसीलदार बडीसादडी को लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम</p>	

(जितेन्द्र कुमार पाण्डे)

RAS

पीठारीन अधिकारी, लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलेक्टर
कडीसादडी (वा.द.)

